(76)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1326–दो/2010 – विरूद्ध आदेश दिनांक 9–9–2010 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना – प्रकरण क्रमांक 220/2008–09 अपील

रामनाथ पुत्र ग्यासीराम राठौर
ग्राम सिरमिती तहसील व जिला मुरैना --- आवेदक

विरूद्ध

1– रामदीन पुत्र रामचरण राठौर
2– ढकेली पुत्र रामचरण राठौर
3– छोटेलाल (फोत) पुत्र ग्यासीराम

वारिस

(अ) गजराज पुत्र छोटेलाल
ग्राम सिरमिती तहसील मुरैना
(ब) श्रीमती पपीता पत्नि स्व.छोटेलाल
राठौर कालोनी, गल्ल मण्डी के पास
इस्लामपुरा मुरैना तहसील व जिला मरैना ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री भरत अग्रवाल)
(अना.क्र. 1,2 के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अना.क्र. 3 के वारिसान सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 17–12–2015 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 220/2008–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–9–2010 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

कि अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 220/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-9-2010 से अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के आदेश दिनांक 22-7-2009 को इस आधार पर निरस्त किया है कि उनके समक्ष महिला ढकेली ने यह तथ्य बताया है कि वह राजीनामा के समय अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के समक्ष उपस्थित नहीं हुई है अपितु उसके फर्जी हस्ताक्षर करके गलत पहंचान कराई गई। इस पर अपर आयुक्त व्दारा निकाला गया निष्कर्ष अनुचित प्रतीत होता है, महिला ढकेली ने अपर आयुक्त न्यायालय में उक्तानुसार तथ्य बताया है , जबकि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22-7-09 में महिला ढकेली की उपस्थिति एंव अभिभाषक व्दारा पहंचान करना अंकित है, तब मामला पुष्टिकरण तथा तस्दीक हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित होना चाहिये, किन्तु अपर आयुक्त व्दारा ऐसा न करके केवल अपील मेमो में अंकित तथ्यों पर एंव महिला ढकेली के अभिभाषक व्दारा दिये गये तर्को पर विश्वास करने की त्रृटि की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ जहां तक अनुविभागीय अधिकारी व्दारा शासन की स्टाम्प डयूटी के हनन् पर एंव पटवारी अभिलेख में अंकित हिस्से मुताविक पुर्नबटवारे में विचार करने हेतु दिये गये प्रत्यावर्तन निर्देश का प्रश्न है ? अपर आयुक्त ने इन निर्देशों को अनुचित करार दिया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी का निर्णय अपने-आप में स्पष्ट निर्णय है कि शासन की स्टाम्प डयूटी का अपबंचन न होने पाये तथा जो पटवारी के अभिलेख में प्रत्येक के हिस्से पर कम-ज्यादा भूमि लिखी है प्रत्येक पक्षकार के हिस्से पर प्राप्त होने वाली भूमि पर विचार किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी मुरैना व्दारा आदेश दिनांक 22-7-09 से लिया गया उक्तनुसार निर्णय

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने तहसीलदार मुरैना को म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन देकर मौजा सिरमिती स्थित कुल किता 6 कुल रकबा 2.84 आरे के बटवारे की मांग की , जिस पर से नायव तहसीलदार मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 6/2008-09 अ 27 दर्ज किया एंव पटवारी से फर्द तैयार कराकर आदेश दिनांक 21-4-2009 से पटवारी व्दारा प्रस्तुत फर्द स्वीकृत कर बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 41/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-7-2009 से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 21-4-09 निरस्त किया गया तथा शासन की स्टाम्प डयूटी का नुकसान न होने पाये एंव अभिलेख में अंकित हिस्सों अनुसार बटवारे पर विचार करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 220/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-9-2010 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुये नायव तहसीलदार मुरैना के प्रकरण क्रमांक 6/2008-09 अ 27 में पारित आदेश दिनांक 21-4-2009 को स्थिर रखा गया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी पेश हुई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक तथा अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के अभिभाषक के तर्क सुने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्रमांक-3 के वारिस सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ्न न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया

उचित प्रतीत होता है, जबकि नायव तहसीलदार मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 6/2008-09 अ 27 में पारित आदेश दिनांक 21-4-2009 से पटवारी व्दारा प्रस्तुत फर्द स्वीकृत कर बटवारा करने की त्रृटि की है क्योंकि पटवारी व्दारा प्रस्तुत फर्द पर किसी पक्षकार को आपत्ति/सहमति दर्ज कराने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है जिसके कारण नायव तहसीलदार का आदेश संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के अनुकूल न होने से अनुविभागीय अधिकारी मुरैना ने निरस्त किया है किन्तु अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 220/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-9-2010 से अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के आदेश दिनांक 22-7-09 को निरस्त करनें में भूल की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 220/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-9-2010 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 41/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 22-7-2009 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर